न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— श्री बाबूलाल जाट, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 2019/118 दायर दिनांक 17.05.2019

वादी		प्रतिवादी
1. राधेश्याम महिया पुत्र सुण्डाराम महिया जाति जाट निवासी सागुकंला तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान	बनाम	1. तहसीलदार, डीडवाना

Web Copy Not Official

दावा बाबत 136 लेण्ड रेवन्यू एक्ट

उपस्थित :—

1. श्री लालसिंह गोदारा अधिवक्ता वादी की और से।

—:: निर्णय ::—

दिनांक 26.07.2019

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के कब्जा काश्त व खातेदारी की निम्न भूमियां ग्राम सागुकंला पटवार हल्का केराप तहसील डीडवाना में अवस्थित है। खसरा सं0 61 रकबा 1.1300 हैक्टयर, खसरा संख्या 62 रकबा 0.0300 हैक्टयर, खसरा संख्या 274 रकबा 10.0900 हैक्टयर व खसरा सं0 421/155 रकबा 6.0000 हैक्टयर कुल खसरा 04 कुल रकबा 18.0500 हैक्टयर वाके सरहद सागुकंला में अवस्थित है।

उक्त समस्त भूमियों की खातेदारी व कब्जा काश्त प्रार्थी का आज दिन तक है। उक्त कृषि भूमि पहले प्रार्थी के पिता के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी तथा बाद में उक्त भूमि जरिये विरासत से प्रार्थी/वादी के नाम दर्ज हुई। लेकिन जब उपरोक्त कृषि भूमि प्रार्थी के नाम राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण दर्ज हुई उस समय राजस्व अभिलेख में राजस्व कर्मचारियों की गलती से प्रार्थी का नाम राधेश्याम पुत्र सुण्डाराम के नाम अंकन हो गया। जबकि प्रार्थी का वास्तविक एवं रिकॉडली दस्तावेजी नाम राधेश्याम महिया पुत्र सुण्डाराम महिया ही है। और वह इसी नाम से जाना व पहचाना जाता है। राजकीय अभिलेख यथा आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड व ड्राईविंग लाईसेंस आदि में भी प्रार्थी का नाम राधेश्याम महिया पुत्र

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

सुण्डाराम महियां ही दर्ज है। प्रार्थी हमेशा राधेश्याम महिया पुत्र सुण्डाराम महिया के नाम से जाना पहचाना जाता है। समस्त दस्तावेजों की छाया प्रतियां वाद के साथ पेश है।

यद्यपि उक्त सभी खेतों की खातेदारी प्रार्थी के गलत नाम राधेश्याम पुत्र सुण्डाराम के नाम से चल रही है। जो प्रार्थी स्वयं ही है। राधेश्याम पुत्र सुण्डाराम तथा राधेश्याम महिया पुत्र सुण्डाराम महियां दोनों एक ही व्यक्ति हैं जो प्रार्थी स्वयं है।

प्रार्थी को अपने कब्जा काश्त व राजस्व अभिलेख के खेतों में उसके गलत नाम राधेश्याम पुत्र सुण्डाराम को हटाकर उसके स्थान पर वास्तविक एवं रिकॉडली दस्तावेजी नाम राधेश्याम महिया पुत्र सुण्डाराम महिया के नाम का अंकन किया जाने बाबत व इसी अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त आवश्यक हुआ है। ताकि प्रार्थी को भविष्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं हो।

प्रार्थना वादी है कि खसरा सं0 61 रकबा 1.1300 हैक्टयर, खसरा संख्या 62 रकबा 0.0300 हैक्टयर, खसरा संख्या 274 रकबा 10.0900 हैक्टयर व खसरा सं0 421/155 रकबा 6.0000 हैक्टयर कुल खसरा 04 कुल रकबा 18.0500 हैक्टयर वाके सरहद सागुकंला में राधेश्याम पुत्र सुण्डाराम के स्थान पर राधेश्याम महियां पुत्र सुण्डाराम महियां का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने की डिक्री आदेश प्रार्थी के पक्ष में जारी करने की कृपा करावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया, प्रतिवादी को वास्ते जवाब देही न्यायालय में हाजिर होने बाबत् जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार डीडवाना ने अपना जवाब पेश कर निवेदन किया कि ग्राम सागुकंला के खेत खसरा संख्या 61, 62, 274, 421/155 कुल रकबा 18.05 हैक्टयर में खातेदार राधेश्याम पुत्र सुण्डाराम है जबकि प्रार्थी के अन्य दस्तावेज यथा राशन कार्ड, चुनाव पहचान पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड सभी दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम राधेश्याम महिया पुत्र सुण्डाराम महियां दर्ज है। ग्राम सागुकंला में राधेश्याम पुत्र सुण्डाराम व राधेश्याम महिया पुत्र सुण्डाराम महिया दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। अतः खसरा नम्बर 61, 62, 274, 421/155 में राधेश्याम पुत्र सुण्डाराम के जगह राधेश्याम महिया पुत्र सुण्डाराम महिया किया जाना उचित है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य खतौनी की नकल, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस, राशन कार्ड पेश किये।

बहस सुनी गयी। वकील वादी ने अपनी बहस में अपने वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन किया।

वादी अपने वाद को डिक्री किये जाने की इस्तदुआ कर रहे है।

अतः तर्को पर मनन करने, रेकर्ड के अवलोकनोपरान्त तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में वादी का वाद डिक्री सादिर किया जाना उचित प्रतित होता है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

हस्व दावा डिक्री सादिर कर वाके सरहद सागुकंला खसरा सं0 61 रकबा 1.1300 हैक्टयर, खसरा संख्या 62 रकबा 0.0300 हैक्टयर, खसरा संख्या 274 रकबा 10.0900 हैक्टयर व खसरा सं0 421/155 रकबा 6.0000 हैक्टयर कुल खसरा 04 कुल रकबा 18.0500 हैक्टयर में राधेश्याम पुत्र सुण्डाराम के स्थान पर "राधेश्याम महियां पुत्र सुण्डाराम महिया" दुरूस्त किया जाता है। इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो, तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

(बाबूलाल जाट)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 26.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बाबूलाल जाट)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री बाबुलाल जाट, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **118/2019** दायर दिनाँक **17.05.2019**

वादी		प्रतिवादी
1. राधेश्याम महिया पुत्र सुण्डाराम महिया जाति जाट निवासी सागुकंला तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान	बनाम	1. तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत 136 लेण्ड रेवन्यू एक्ट

दिनाँक **26.07.2019**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री लालसिंह गोदारा, वकील, वादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, वाके सरहद सागुकंला खसरा सं0 61 रकबा 1.1300 हैक्टयर, खसरा संख्या 62 रकबा 0.0300 हैक्टयर, खसरा संख्या 274 रकबा 10.0900 हैक्टयर व खसरा सं0 421/155 रकबा 6.0000 हैक्टयर कुल खसरा 04 कुल रकबा 18.0500 हैक्टयर में राधेश्याम पुत्र सुण्डाराम के स्थान पर "राधेश्याम महियां पुत्र सुण्डाराम महिया" दुरूस्त किया जाता है। इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो, तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–..................

..खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **26.07.2019** को सरे इजलास में जारी की गयी।

(बाबूलाल जाट)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

(बाबूलाल जाट)
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner